105

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2564–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 09–06–2014 पारित द्वारा नायब तहसीलदार तहसील कसरावद जिला खरगोन, प्रकरण कमांक 58/अ–6/2012–13

आनंदराम पिता पदम

निवासी काकरियाव तहसील कसरावद

जिला खरगोन .....आवेदक

विरूद्ध

1–झबर पिता पदम

2–संतोष पिता कालुराम

3–बलीराम पिता कालुराम अव्यस्क

गार्जियन माता सकुबाई बेवा कालुराम

सभी निवासी ग्राम काकरिया तहसील कसरावद

जिला खरगोन .....अनावेदकगण

श्री के0के0द्विवेदी, अभिभाषक–आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/5/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत नायब तहसीलदार तहसील कसरावद जिला खरगोन द्वारा पारित आदेश दिनांक 9.6.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा ग्राम काकरिया खसरा नम्बर 194/1 रकबा 1.315 हेक्टेयर भूमि का नामान्तरण कराने बावत् संहिता की धारा 109, 110 के अन्तर्गत तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कार्यवाही करते हुये विज्ञप्ति का प्रकाशन व उभयपक्षों को नोटिस कर प्रकरण में सुनवाई करते हुये दिनांक 9–6–2014 को आदेश पारित आवेदक द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 का प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसील न्यायालय के इसी अंतरिम आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश कानूनी तथ्यों एवं विधि विपरीत होकर निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 109, 110 तथा व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के प्रावधानों के विपरीत आदेश पारित करने में गंभीर त्रुटि की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि आवेदकगण द्वारा अपने मकान को छोडते मात्र कृषि भूमि नामान्तरण हेतु सहायता चाही जाने के कारण उक्त विवादास्पद संपत्ति का सिविल न्यायालय द्वारा निराकरण होना संभावित है, जिस कारण उक्त आवेदन पत्र न्यायालय में नहीं चल सकता इसलिये प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त करने में त्रुटि की गई है । उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त कर निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया ।

4/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि एक वसीयत में कई सम्पत्ति हो सकती है तथा सभी संपत्तियों के पक्षकारों के अधिकार क्षेत्र के हिसाब से पृथक–पृथक प्रकरण चल सकते हैं । अतः आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा 109, 110 तथा व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 का आवेदन पत्र विधिपूर्ण नहीं होने के कारण निरस्त किया गया है, इसलिये नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर नायब तहसीलदार तहसील कसरावद जिला खरगोन द्वारा पारित आदेश दिनांक 9.6.2014 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर